

■ मनिर्वा मलिस बनाम भारत संघ:

- मनिर्वा मलिस वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि "भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और नदिशक सदिधांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है।"
- संसद नदिशक सदिधांतों को लागू करने के लिये मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यदयिह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे को आघात न पहुँचाता हो या उसे नष्ट नहीं करता हो।

मूल ढाँचे का सदिधांत क्या है?

- केशवानंद भारती वाद में संविधान पीठ ने 7-6 के मत से नरिणय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदयिह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक वशिषताओं में कोई बदलाव या संशोधन को अधभावी न करे।
- हालाँकि, न्यायालय ने 'मूल ढाँचे' पद को परभाषति नहीं किया और केवल कुछ सदिधांतों - जैसे संघवाद, धर्मनरिपेक्षता, लोकतंत्र आदि - को इसके अंग के रूप में सूचीबद्ध किया।
- तब से "मूल ढाँचे के सदिधांत" को नमिनलखिति वशिष्यों को संलग्न करने हेतु व्याख्यायति किया गया है -

- संविधान की सर्वोच्चता,
- वधि का शासन,
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
- शक्ति पृथक्करण का सदिधांत,
- संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य,
- सरकार की संसदीय प्रणाली,
- स्वतंत्र एवं नशिपक्ष रनिवाचन का सदिधांत,
- कल्याणकारी राज्य, आदि।

- एस.आर. बोमई वाद (1994) मूल ढाँचे के अनुप्रयोग का एक प्रमुख उदाहरण है।

- इस वाद में बाबरी मसजिद के वधिर्वस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों की बरखास्तगी को न्यायालय ने उचित ठहराया, जहाँ इन सरकारों से धर्मनरिपेक्षता के लिये खतरे की बात कही गई।

मूल ढाँचे के सदिधांत का महत्त्व क्या है?

■ राजनीतिक शक्ति को सीमति करना:

- गोलक नाथ वाद (1967) ने अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति को मूल अधिकारों की व्यवस्था के अधीन लाकर राजनीतिक शक्ति की सीमा नरिधारति की।
- मूल ढाँचे ने संविधान की मूल पहचान को चहिनति किया, जसिे किसी भी संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- मूल ढाँचा संविधान के नरिसन को अक्षम बनाता है और यह किसी संवैधानिक संशोधन को अधिकृत करती है, न कि संवैधानिक तोड़-मरोड़ या वधिटन को।

■ न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया और शक्ति का वविकपूर्ण प्रयोग:

- केशवानंद भारती वाद का उभार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सह-संविधायी शक्ति (Co-constituent Power) के वविकपूर्ण प्रयोग के एक अवसर के रूप में हुआ।
- इसने कार्यपालिका एवं वधायिका की वृहत पूर्ण शक्तियों को स्पष्ट किया और भय के तर्क को इस मान्यता के साथ खारजि कर दिया कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना इसकी अप्रदत्तता (Non-conferment) के लिये कोई आधार नहीं है।

■ अंतमि नरिणय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास:

- न्यायालय मानता है कि मूल सदिधांतों की पहचान करना और उन्हें बनाए रखना उसका उत्तरदायित्व है, जो संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **NJAC वाद** (2015) में दिया गया नरिणय यह स्पष्ट करता है कि शक्ति का प्रयोग केवल "वधिके मापदंडों के भीतर, न तो अधिक और न ही कम" किया जा सकता है और संशोधनों की वैधता "वचिरों के आधार पर परीक्षति नहीं की जा सकती है, वे कतिनी भी प्रबलता या वशिद रूप से अभवियक्त हुए हों।"
- न्यायिक स्वतंत्रता वधिके शासन के 'सार' (Essence) के रूप में महत्त्वपूर्ण है, जो 'नरिण्यात्मक स्वायत्तता' और 'संस्थागत स्वायत्तता' दोनों को शामिल करती है।

■ संवैधानिक परंपराएँ और अभ्यास:

- वधि के शासन का अर्थ है कि "नरिणयन और वविक के मानदंड" हमेशा संविधान द्वारा परिचालति रहते हैं और 'संवैधानिक परंपराओं' के लिये सम्मान की मांग रखते हैं।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार न्यायिक नयुक्तियों के मामलों में एक परंपरा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के समय से ही मौजूद है।
- 'संवैधानिक परंपराएँ और अभ्यास' लखिति शब्द के साथ अलखिति संविधान के प्रतच्छेदन को चहिनति करते हैं।

संबंध मुद्दे

■ स्पष्ट उपबंध नहीं:

- मूल ढाँचे के सिद्धांत का सबसे सामान्य मुद्दा यह है कि संविधान की भाषा में इस सिद्धांत के लिये कोई आधार नहीं है।
- ऐसे किसी उपबंध का अभाव है जो यह निर्धारित कर सकता हो कि संविधान में संशोधन शक्त की क्षमता से परे कोई मूल ढाँचा मौजूद है।

■ शक्तिपृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध:

- यह सिद्धांत एक त्रिपक्षीय प्रणाली की कल्पना करता है जहाँ शक्तियाँ को उनके अधिकार क्षेत्र को रेखांकित करते हुए सरकार के तीन अंगों के बीच प्रत्यायोजित एवं वितरित किया जाता है।
- यह शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा के साथ असंगत है।

■ विषय-वस्तुगतता या 'सबजेक्टिवि मैटर':

- यह देखा गया है कि मूल ढाँचे के सिद्धांत को अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है।
- यह संवैधानिक संशोधनों की वैधता या अमान्यता को तय करने के निर्णय को न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित करता है जो तत्समय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

■ निरिवाचित संसद की शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण:

- संसद द्वारा अधिनियमित कानून को न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि न्यायालय इसे संविधान के मूल ढाँचे के विरुद्ध मान लें।
- इस प्रकार, यह न्यायपालिका को लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकार पर अपना दर्शन थोपने की अनुमति प्रदान करता है।

■ कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं:

- मूल ढाँचा के संघटक तत्व के बारे में निश्चित स्पष्टीकरण की कमी है, जिससे यह सिद्धांत संदिग्ध या अस्पष्ट हो जाता है।
- यह तय करना न्यायालयों के ऊपर है कि मूल ढाँचा क्या है?

■ न्यायिक अतिक्रम की ओर:

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वसम्मति से संसद द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में अधिनियमित किया गया था और भारत के 28 में से 20 राज्यों की विधायिका द्वारा इसे पारित किया गया था।
- NJAC विधायक एवं ऐसे कई अन्य मामलों में न्यायालय द्वारा मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर हस्तक्षेप किया गया जिन्हें न्यायिक अतिक्रम (Judicial Overreach) की घटनाओं के रूप में देखा गया है।

निरिक्ष

- मूल ढाँचे के सिद्धांत भारतीय संविधान की आधारशिला है, जो लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के संरक्षण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। केशवानंद भारती वाद में इसकी प्रस्थापना भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की सशक्तता और प्रत्यास्थता तथा संविधान को बनाए रखने हेतु न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।

मूल संरचना का सिद्धांत

Doctrine of Basic Structure

■ मूलविचार —

- 'जननी का संविधान'।

■ ऐतिहासिक निर्णय —

- केशवानंद भारती मामले, 1973 ('संविधान की मूल संरचना' वाक्यांश का पहली बार प्रयोग किया गया था)।

■ मूल संरचना के तत्व —

- संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ ...

■ महत्व

- संविधान के केंद्रीय आदर्शों को कमजोर करने के लिये एक बहुसंख्यक सरकार की शक्ति को सीमित करता है।

■ आलोचना

- "मूल संरचना" का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है।
- मूल संरचना के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक शक्ति ग्रहण कर ली है।

क्रमिक विकास

शंकरा प्रसाद मामला (1951) और राजन सिंह मामला (1965)	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है।
गोल्डक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967	संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास है; 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 रद्द किया गया।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973	संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975	आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और 39वाँ संशोधन अधिनियम (1975) के प्रवचन (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखते हुए) को अमान्य कर दिया गया।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच न्यायिक पुनर्विलोकन और सामंजस्य को सुनिश्चिती ढाँचे में जोड़ा गया।
वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 मामला	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तारीख के बाद लागू किये गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992	विधि के शासन को सुनिश्चिती ढाँचे का एक हिस्सा घोषित किया गया।
एस.आर बोम्बई बनाम भारत संघ, 1994	संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में दोहराया गया।

अभ्यास प्रश्न: भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र में मूल ढाँचे के सिद्धांत के महत्त्व और विकास की चर्चा करें। इसने शक्तिपृथक्करण के सिद्धांत को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा वधि के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को कैसे प्रभावित किया है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

2020-2021

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के नरिवाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

2019-2020

प्र. "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परसीमति शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में वसित नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी शक्त का वशिदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है? (2019)

